



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ खंडपीठ

रिट - ए संख्या - 403 वर्ष 2009

वत्सताला मिश्रा, पुत्री राजेंद्र कुमार मिश्रा - आपत्ति दाखिल

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव माध्यमिक शिक्षा एवं अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : सुरेंद्र प्रताप सिंह, राजेंद्र प्रताप सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -4

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



माननीय न्यायमूर्ति इरशाद अली

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रत्यर्थी के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

2. प्रस्तुत रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोषों की प्रार्थना की है :-

(1) उत्प्रेषण/मैंडमस की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें विरोधी पक्ष को यह आदेश दिया जाए कि वे तिवारी वैदिक आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, रानीघाट, पुराना कानपुर में व्याख्याता (आधुनिक विषय) के पद हेतु याचिकाकर्ता को 01-09-2008 से वेतन का भुगतान करें।

(2) उत्प्रेषण/मैंडमस की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें विपक्षी संख्या 1 और 2 को यह आदेश दिया जाए कि वे विपक्षी संख्या 4 को दिनांक 25-04-98 के सरकारी आदेश के अनुसार कार्य करने का निर्देश दें।

(3) उचित प्रकृति का कोई रिट आदेश या निर्देश जारी करना, जिसे यह माननीय न्यायालय न्याय के हित में उचित और सही समझे।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(4) रिट याचिका को हर्जाने सहित स्वीकार किया जाए।”

3. प्रकरण के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को तिवारी वैदिक आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, रानीघाट, पुराना कानपुर में प्रवक्ता (आधुनिक) के पद पर नियुक्त किया गया था और वह 01.09.2008 से कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता को उस पद हेतु वेतन का भुगतान नहीं कर रहे हैं, जिस पर उन्हें नियुक्त किया गया था। उपर्युक्त महाविद्यालय एक मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेज है, जिसे अनुदान-सहायता के अंतर्गत लाया गया है, और इसका संचालन तथा प्रबंधन प्रबंधन समिति द्वारा किया जा रहा है। शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या चार है, जिनमें से तीन शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं और महाविद्यालय में केवल एक शिक्षक कार्यरत हैं।

4. प्रत्यर्थी संख्या 6 ने दिनांक 09.05.2008 को प्रत्यर्थी संख्या 4 को एक पत्र लिखा, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि 4 पद स्वीकृत थे और सभी 4 शिक्षकों की नियुक्ति अनुमोदित थी, जिनमें से 3 शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और उसने उन 3 पदों पर नियुक्ति करने हेतु पूर्व अनुमोदन चाहा है।

5. जब प्रत्यर्थी संख्या 4 ने उक्त पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की तो प्रत्यर्थी संख्या 5 ने पुनः दिनांक 09.05.2008 को एक पत्र लिखा, जिसमें यह उल्लेख किया कि शिक्षक की अनुपस्थिति के कारण उसे भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, और नियुक्ति हेतु पूर्व अनुमोदन की मांग की।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. दिनांक 24.06.2008 को प्रत्यर्थी संख्या 5 ने उस क्षेत्र के दो व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्रों अर्थात् आज और हिंदुस्तान में एक विज्ञापन प्रकाशित किया, जिसमें उपर्युक्त महाविद्यालय में व्याख्याता (आधुनिक) के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे, और इसके अनुसरण में याचिकाकर्ता तथा अन्य व्यक्तियों ने अपने आवेदन प्रेषित किए और चयन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। तत्पश्चात् विधि के अनुसार याचिकाकर्ता का चयन किया गया और प्रत्यर्थी संख्या 5 ने दिनांक 28.08.2008 को पंजीकृत डाक के माध्यम से याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र प्रेषित किया।

7. नियुक्ति पत्र के अनुसरण में याचिकाकर्ता ने पद पर कार्यभार ग्रहण किया और तब से वह इस पद के कर्तव्यों कार्यों और दायित्वों का निर्वहन कर रही है। याचिकाकर्ता की नियुक्ति उस रिक्ति के विरुद्ध की गई थी, जो 30.06.1995 को व्याख्याता आधुनिक के सेवानिवृत्त होने के कारण उत्पन्न हुई थी।

8. 28.08.2008 को प्रत्यर्थी संख्या 5 ने प्रत्यर्थी संख्या 4 और विश्वविद्यालय को एक पत्र भेजा, जिसमें यह बताया गया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति कर दी गई है और इसके लिए अनुमोदन प्रदान किया जाए। इसके पश्चात याचिकाकर्ता ने वेतन भुगतान हेतु प्रत्यर्थीगण के समक्ष कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए, परन्तु प्रत्यर्थीगण द्वारा इस संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता को 28.08.2008 को नियुक्ति प्रदान की गई थी, अतः प्रत्यर्थीगण द्वारा याचिकाकर्ता को वेतन का भुगतान न किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। उनका कहना है कि प्रत्यर्थीगण की ओर से की गई निष्क्रियता पूर्णतः अनुचित है।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का अंतिम निवेदन यह है कि याचिकाकर्ता अपनी नियुक्ति की तिथि अर्थात् 01.09.2008 से राजकोष से वेतन के भुगतान का हकदार है।

11. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कथन है कि यदि याचिकाकर्ता की नियुक्ति 28.08.2008 से प्रभावी हुई है, तो वह अपनी नियुक्ति की तारीख से ही राज्य कोष से वेतन प्राप्त करने की हकदार है।

12. पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् मैंने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

13. अभिलेख की अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति तिवारी वैदिक आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, रानीघाट, पुराना कानपुर में 28.08.2008 को की गई थी। उन्होंने उक्त पद पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन जारी रखा, इसलिए याचिकाकर्ता तिवारी वैदिक आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, रानीघाट, पुराना कानपुर में नियुक्ति की तारीख से वेतन पाने की हकदार हैं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

14. रिट याचिका पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने दिनांक 21.01.2009 के आदेश द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया, जिसका प्रभावी अंश नीचे उद्धृत है :-

उपर्युक्त को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है कि यदि नियोक्ता-कर्मचारी संबंध बना रहता है और याचिकाकर्ता सेवा में बना हुआ है, तो विरोधी पक्षों द्वारा याचिकाकर्ता को 1 जनवरी, 2009 से प्रभावी उसकी वर्तमान वेतन का भुगतान किया जाएगा।

15. उपर्युक्त को देखते हुए यह रिट याचिका सफल होती है और इसे स्वीकार किया जाता है।

16. तथापि प्रतिवादीगण को यह निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को 01.09.2008 से वेतन का भुगतान सुनिश्चित करें, और इसके परिणामस्वरूप मिलने वाले लाभ भी विधि के अनुसार प्रदान किए जाएंगे।

24 मार्च, 2026

आदर्श के. सिंह

न्यायमूर्ति इरशाद अली

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।